29/4/22

प्रार्थना पत्र पेश हुआ। वकील श्री अमित कुमार
वकील श्री की बहस सुनी। प्रार्थी
का कहना है कि तहसीलदार सिटी
पटियाला ने मुकदमा तथ्य करके रेकार्ड
मूर्ति मन्दिर श्री लक्ष्मी नारायण मे है विचाराधीन
है। व उसके खिलाफ है। आ. वाद 10 नं.
"Res Subjudice" की श्रेणी मे आता है।
अतः उच्च न्यायालय मे दायर वाद विचाराधीन
रहते इस वाद की सुनवाई का अधिकार
न्यायालय मे कायम नहीं है। अतः
यह वाद खारिज किया जाता है। विवादित
निर्णय आज के किया जाकर आज
दिया गया। मुआवजा निर्णय अधिकार
रिकार्ड की गई है। प्रार्थी की
रिवीजन याची से कायम हुआ पेश
हुआ हुआ सीलबन्द फाइल
निर्णय आज दिनांक 29/04/22 को खुले
न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:36:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त कलक्टर
पटियाला